

‘मैं किसी को भी न्यायपालिका का नाम खराब नहीं करने दूंगा’

एनसीईआरटी की कक्षा-8 की किताब में न्यायपालिका को भ्रष्ट बताए जाने पर भड़के सीजेआई सूर्यकांत

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल काउन्सिल ऑफ रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा प्रकाशित कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक की सामग्री पर गंभीर आपत्ति जताई है। इस पुस्तक में न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है।

अदालत ने कहा कि वह न्यायिक संस्था की साख को धूमिल करने या कमजोर करने की किसी भी कोशिश की अनुमति नहीं देगी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा, मैं किसी को भी न्यायपालिका का नाम खराब नहीं करने दूंगा। ज्ञातव्य है कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी और कहा, हम इस बात से बेहद आहत हैं कि कक्षा 8 के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है

- सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने यह मामला उठाया तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, हम पहले ही इस पर संज्ञान ले चुके हैं और कार्यवाही करेंगे।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्यायपालिका के अधिकारों और गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए, खासकर ऐसी सामग्री से जो किशोरवय के बच्चों की सोच का निर्माण करती हैं।
- सुप्रीम कोर्ट में बार के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि कक्षा-8 की सामाजिक विज्ञान की किताब, जो हाल ही में जारी की गई, में कार्यपालिका व व्यवस्थापिका का भी इसी प्रकार का हवाला दिया गया होता तो कोई बात नहीं थी। पर, इसमें सिर्फ न्यायपालिका को ही निशाना बनाया गया था। इससे न्यायपालिका के प्रति एकतरफा धारणा बन सकती है।
- सूत्रों ने बताया कि पाठ्य पुस्तक के उक्त अध्याय में अदालतों में लंबित मामलों की संख्या, न्यायाधीशों की कमी, व्यवस्था संबंधी चुनौतियों की चर्चा भी की गई है।

कि न्यायपालिका भ्रष्ट है। सीजेआई ने कहा, हम पहले ही इस पर संज्ञान ले चुके हैं और कार्यवाही करेंगे।

इस मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने, उन शैक्षणिक सामग्रियों में

न्यायपालिका को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, उस पर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार का संदर्भ, यदि उचित संदर्भ और संतुलन के बिना दिया जाता है, तो यह संविधान के एक स्तंभ पर जनता के

विश्वास को कमजोर कर सकता है। सुनवाई के दौरान बार के वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि संबंधित अध्याय में मिडिल स्कूल में विद्यार्थियों को न्यायिक कदाचार के आरोपों की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘फज़्ज़ी डिग्रीधारी जज 5 साल तक हाई कोर्ट में फैसले सुनाता रहा’

यह मामला पाकिस्तान का है, जिससे पाकिस्तान की व्यवस्था की भारी किरकिरी हुई है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 फरवरी। पाकिस्तान का एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पांच साल तक कार्य करता रहा और फैसले सुनाता रहा, लेकिन किसी को यह पता नहीं चला कि उसकी कानून की डिग्री फर्जी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिस पीठ में वह कार्यरत था, उसने उसकी कानून की डिग्री को शुरू से ही अमान्य घोषित कर दिया था। इसलिए हाई कोर्ट के जज के रूप में उनकी नियुक्ति कानूनी तौर पर अमान्य थी।

पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार, 23 फरवरी को 116 पत्रों का विस्तृत फैसला जारी कर अपने एक जज, तारिक महमूद जहांगीरी, को पद से हटा दिया। जहांगीरी को दिसंबर 2020 में हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था, लेकिन पिछले साल

- पाकिस्तान के डॉन अखबार में छपी खबर के अनुसार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंततोगत्वा उक्त जज, तारिक महमूद जहांगीरी को पद से हटा दिया है।
- जहांगीरी की दिसम्बर 2020 में नियुक्ति हुई थी। लॉ की फर्ज़ी डिग्री की जानकारी मिलने के बाद सितम्बर 2025 में जहांगीरी को मामले की सुनवाई करने से रोक दिया गया था।
- कराची युनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से प्राप्त मूल रिकॉर्ड के आधार पर कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि जहांगीरी की डिग्री फर्ज़ी थी।

सितंबर में उन्हें न्यायिक कार्य करने से रोक दिया गया था। हाई कोर्ट का यह फैसला कराची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए मूल रिकॉर्ड के आधार पर लिया गया। अदालत ने कहा कि जहांगीरी के शैक्षणिक दस्तावेज फर्ज़ी थे, जिनमें किसी और की जगह परीक्षा देना

(प्रतिरूपण) और सजा से बचने की कोशिश जैसे आरोप शामिल थे। फैसले में बताया गया कि जहांगीरी ने 1988 में फर्ज़ी नामांकन संख्या (एनरोलमेंट नंबर) का उपयोग कर परीक्षा दी थी। परीक्षा के दौरान उन्हें नकल करते हुए पकड़ा गया और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईडी ने अनिल अंबानी का 3716 करोड़ रु. का घर अटैच किया

मुंबई, 25 फरवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के कथित बैंक घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उद्योगपति अनिल अंबानी के मुंबई के पाली हिल स्थित आवास “अंबोड” को अटैच कर

- मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ईडी अब तक अनिल अंबानी की 15700 करोड़ रु. से अधिक की संपत्ति अटैच कर चुका है।

लिया है। अटैच की गई प्रॉपर्टी की कीमत 3,716.63 करोड़ रुपये है। ईडी के अनुसार इससे पहले इस प्रॉपर्टी का 473.17 करोड़ रुपये का हिस्सा अटैच किया गया था। आज की गई नई कार्रवाई के साथ अनिल अंबानी की अब तक अटैच की गई प्रॉपर्टी की कुल कीमत 15,700 करोड़ रुपये से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘केरल तो पहले से ही केरलम् है’

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 फरवरी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल का नाम बदलकर केरलम किए जाने पर केन्द्र सरकार की आलोचना की है, उनका कहना है कि यह नाम परिवर्तन पर तो ध्यान दे रही है, लेकिन परियोजनाओं पर कोई काम नहीं हो रहा। थरूर ने राज्य के नाम परिवर्तन की आवश्यकता पर सवाल उठाए हा। उन्होंने कहा, “यह पहले ही मलयालम में केरलम था। तो अब, एक मलयालम शब्द अंग्रेजी में आ रहा है। मुझे नहीं पता कि इससे क्या फर्क पड़ता

- कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, मलयालम में पहले से ही केरल को केरलम् कहते हैं, तो अंग्रेजी में नाम बदलने की क्या जरूरत है।

है। सरकार ने हमें एक नया एम्स या कोई नया संस्थान नहीं दिया। उन्होंने हमें संघीय बजट में कोई परियोजना नहीं दी। लेकिन जब नाम बदलने की बात आती है, तो वे इसे तुरंत मंजूरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं।

थरूर ने एक्स पर एक अलग पोस्ट में एक “छोटा भाषाई सवाल” पूछा – अब ‘केरलाइट’ और ‘केरलन’ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व प्र.मंत्री शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौटने का प्लान बना रही हैं?

उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पार्टी की कार्यकारिणी को संबोधित किया और पूरे संकेत दिए कि वे शीघ्र बांग्लादेश लौटेंगी और राजनीतिक गतिविधियों में शरीक होंगी

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 फरवरी। क्या बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश लौटने की योजना बना रही हैं?

हालांकि यह प्रस्ताव थोड़ा असंभावित लग सकता है, लेकिन यह सवाल बांग्लादेश और भारत, दोनों देशों में सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल का कारण बना हुआ है। इसके पीछे कुछ कारण हैं: कुछ दिन पहले, अवामी लीग की अध्यक्ष ने दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद, उन्होंने ढाका में पार्टी कार्यसमिति की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति दी। बताया जाता है कि हसीना, जो जुलाई 2024 से भारत में निर्वासन में हैं, उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सूचित किया कि वे जल्द ही लौटने और बांग्लादेश में राजनीतिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की

- उनका संकेत अर्धहीन लगता है, क्योंकि उनके खिलाफ मृत्यु दण्ड का बांग्लादेश इंटरनैशनल क्राइम्स ट्रिब्युनल द्वारा पारित फैसला पेंडिंग पड़ा है, ढाका में।
- पर, दूसरी ओर यह भी सच है, उनके वापस आने के संकेत से मृत प्रायः सी पड़ी उनकी पार्टी, अवामी लीग में नई जान आ गई हैं तथा जिलों में बंद पड़े ऑफिसों के ताले खुले तथा शहर में शेख हसीना के बैनर्स, पोस्टर, बंटिंग्स लगे, शेख हसीना के आगमन की खबर जनमानस में पहुंचाने के लिए
- परन्तु, बंगाल नैशनलिस्ट पार्टी के नवनियुक्त प्र.मंत्री तारिक रहमान भी शेख हसीना व उनकी पार्टी को पनपने देने के सख्त विरोधी हैं।

योजना बना रही हैं। मोहमद युनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार, जो धार्मिक उग्रवादी जमात-ए-इस्लामी द्वारा समर्थित थी, अब सत्ता से बाहर भले ही हो, लेकिन हसीना के खिलाफ बांग्लादेश

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा जारी की गई मौत की सजा अभी भी लंबित है। अवामी लीग, उस समय की युनुस सरकार द्वारा उसके नेताओं के खिलाफ की गई सामूहिक गिरफ्तारी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘दिल्ली का नाम बदलकर इन्द्रप्रस्थ किया जाना चाहिए’

दिल्ली के एक भाजपा सांसद ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में पत्र लिखा

- केरल का नाम बदलकर केरलम् किए जाने के बाद दिल्ली में भी नाम परिवर्तन की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है।
- चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पत्र में लिखा है कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है, इसका नाम इन्द्रप्रस्थ रखा जाए, जो इसकी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाता है।
- खंडेलवाल ने कहा, कि ऐतिहासिक तथ्य और पुरातात्विक खोजों से पता चला है कि यह कभी पांडवों की राजधानी था जिसका जिक्र महाभारत में मिलता है, इसलिए इन्द्रप्रस्थ ही भारत की राजधानी की असली पहचान है।
- खंडेलवाल ने उचित स्थान पर, जैसे पुराने किले में, पांडवों की मूर्ति स्थापित करने का सुझाव दिया।

पहचान का प्रतीक है, जबकि ‘दिल्ली’ नाम मध्यकालीन काल में प्रचलन में आया था।

खंडेलवाल ने यह भी सुझाव दिया कि पांडवों की मूर्तियों को दिल्ली में किसी उपयुक्त स्थान पर, संभवतया

पुराना किला में, स्थापित किया जाए, ताकि शहर की प्राचीन सांस्कृतिक पहचान को फिर से जीवित किया जा सके।

एक अलग पत्र में, उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अनुरोध

किया कि दिल्ली विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करे, जिसमें दिल्ली का नाम इन्द्रप्रस्थ रखने का प्रावधान हो। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में कई भारतीय शहरों ने अपने ऐतिहासिक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

झारखंड के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी

नई दिल्ली, 25 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लांडिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर पेश नहीं होने के

- ईडी के समन पर पेश नहीं होने के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई।

मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ईडी ने कई छोटे-मोटे मामलों में ज्यादा ध्यान दिया है। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि हेमंत सोरेन को सात बार समन भेजा गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भजनलाल कैबिनेट ने राज्य में औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति बनाई

जयपुर, 25 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा सचिवालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने, राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट बैठक के बाद विधानसभा में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-24 में संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने का महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। इससे जिन व्यक्तियों के दो से अधिक संतान हैं वे पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के चुनाव लड़ सकेंगे। उन्होंने बताया कि दो से अधिक संतान पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध उस समय लागू किया गया था, जब जनसंख्या विस्फोट पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता थी।

डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि आर्थिक अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा वित्तीय अनुशासन के लिए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को

दो से अधिक संतान वाले पंचायत व नगरपालिका चुनाव लड़ सकेंगे, राजस्व अपराध निदेशालय बनेगा



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

समाप्त कर राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन का निर्णय मंत्रिमण्डल में किया गया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया औद्योगिक विकास को नई गति देने, निवेश को

प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने तथा सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, 2026 लाई जाएगी।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने यह भी

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में जयपुर में राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के नए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें राज्य सरकार के 635 करोड़ रुपये खर्च नहीं होंगे, बल्कि संशोधित मॉडल में 10 करोड़ रुपये की शुद्ध आय होगी।

बताया कि मंत्रिमण्डल की बैठक में आज संशोधित वित्तीय मॉडल का अनुमोदन किया गया। जिसके अंतर्गत परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 5 हजार 815 करोड़ रुपये तथा अनुमानित राजस्व प्राप्ति 5 हजार 825 करोड़ रुपये है। इस संशोधित मॉडल में लगभग 10 करोड़ रुपये की शुद्ध आय भी संभावित है। इसमें अब राज्य सरकार पर पूर्व में अनुमानित 635 करोड़ का वित्तीय दायित्व भी नहीं रहेगा।

झारखंड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) गया था। हेमंत सोरेन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि सोरेन तीन बार ईडी के सामने पेश हुए, लेकिन हर बार उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तब कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गहरी नज़र रखी जानी चाहिए।

इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से जारी समन को बरकरार रखा था। उच्च न्यायालय के इसी फैसले को हेमंत सोरेन ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

ज्ञातव्य है कि ईडी ने 31 जनवरी, 2024 को हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सोरेन को भूमि छोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले हेमंत सोरेन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया था।

‘फर्ज़ी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) 1989 में विश्वविद्यालय ने उन्हें तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। सजा स्वीकार करने के बजाय, जहांगीरी ने धोखाधड़ी का सहारा लिया।

अगले वर्ष उन्होंने फिर से “तारिक जहांगीरी” नाम से परीक्षा दी और उस नामांकन संख्या का उपयोग किया, जो किसी अन्य छात्र, इम्तियाज़ अहमद को दी गई थी।

ईडी ने अनिल अंबानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ज्यादा हो गई है। ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरसीओएम), अनिल अंबानी और दूसरों के खिलाफ जांच शुरू की थी। ईडी ने बताया कि आरसीओएम और उसकी ग्रुप कंपनियों ने लोन लिया था, जिसमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये बकाया है। जांच में पता चला है कि दूसरी एसेट्स के अलावा, पाली हिल प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में मिला दिया गया था, जो अनिल अंबानी के परिवार के सदस्यों का एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट है। ईडी ने बताया कि ऐसा

भारत द्वारा रूसी ऑयल ...

- वैसे भी समुद्र में ऑयल से भरे टैंकर्स का इस तरह से विचरण करना भी खतरे से खाली नहीं है। कोई दुर्घटना कभी भी विकराल रूप धारण कर सकती है।
- यह स्थिति भारत के लिए अधिक संकट की इसलिए भी है कि ऑयल से भरे टैंकर्स सबसे ज्यादा हिंद महासागर में मंडरा रहे हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर में तीसरे नंबर पर है तथा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान व अन्य एशियाई देश, जैसे सिंगापुर भी अपनी खपत का अधिकतम ऑयल आयात ही करते हैं।

हाल ही में इसमें कुछ बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। कच्चा तेल जो पहले भारत आता था, अब उसे सिंगापुर और पूर्वी देशों की ओर मोड़ा जा रहा है। इसके अलावा, ईरानी तेल टैंकर भी समुद्र में हैं, क्योंकि देश अमेरिका से सीधे हमले का डर महसूस कर रहा है, क्योंकि आपूर्ति

‘मैं किसी को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जानकारी दी गई है। यह तर्क दिया गया कि जवाबदेही पर चर्चा महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर विशेष रूप से जोर देना, और राज्य के अन्य अंगों के बारे में वैसी ही चर्चा न करना, एकतरफा धारणा बना सकता है। पीठ के सदस्यों ने यह भी कहा कि सन्दर्भित पाठ्य सामग्री की प्रस्तुति संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं लगती, खासकर उस सिद्धांत के संदर्भ में, जो संविधान की मूल संरचना के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करता है।

बताया गया है कि पाद्यपुस्तक के

अध्याय में लंबित मामलों की संख्या, न्यायाधीशों की कमी और व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियाँ जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। लेकिन अदालत के हस्तक्षेप से यह स्पष्ट होता है कि शैक्षणिक सामग्री में संवेदनशील संस्थायत विषयों को सावधानी से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि आलोचनात्मक चर्चा संस्था की गरिमा को ठेस न पहुंचाए।

अब यह मामला संवैधानिक महत्व का बन गया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायपालिका की गरिमा और अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए, खासकर उन मामलों में, जो किशोरों की सोच का निर्माण करती हैं।

इंटरनेशनल फिल्म ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पर्यटन, प्रतिभा विकास, एबीजीसी, रचनात्मक उद्योग और रोजगार सृजन के नए अवसर प्रदान करेगा। फिल्म फेस्टिवल में 125 से अधिक भारतीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही गाला प्रीमियर, मास्टरक्लास, ईडस्ट्री संवाद, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे।

पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली का अब तक का पहला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। इस महोत्सव में देश-विदेश के प्रतिष्ठित फिल्मकार, कलाकार, निर्देशक और तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। यह महोत्सव

न केवल भारतीय सिनेमा की विविधता और सृजनात्मकता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा, बल्कि दिल्ली को सशक्त फिल्म और सांस्कृतिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

‘दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) नामों को फिर से बहाल किया है और दिल्ली का नाम बदलना राजधानी को भारत की प्राचीन धरोहर से फिर से जोड़ने की दिशा में एक कदम होगा।

**MARUTI SUZUKI**

**VITARA**
India goes lectric

Introductory BaaS price

₹10.99 LAKH^{*}+ Battery EMI

 ₹3.99/km



**INDIA'S LARGEST* FAST-CHARGING NETWORK**

**543 km RANGE***

**5 STAR SAFETY RATING BNCAP***

NEXA

60% ASSURED BUYBACK AFTER 3 YEARS

8 YEARS WARRANTY
* BATTERY: 8 YEARS
* VEHICLE: 36 (36/MO) YEARS

COMPLIMENTARY
HOME CHARGER & INSTALLATION WORTH ₹50,000

COMPLIMENTARY
CHARGING FOR 1 YEAR

**SCAN TO CONNECT TO A SHOWROOM NEAR YOU**

**E-BOOK TODAY @**
WWW.NEXAEXPERIENCE.COM

* ₹ 10.99 lakh for e VITARA Delta. Battery EMI: ₹ 3.99/km (subject to financier terms). Taxes and statutory charges are extra. Visit dealership for full T&Cs. | *As certified by Kantar IMRB for an OEM partnership for end-to-end usage as on November 28, 2025. | *543 km range: Certified range; actual results may vary by driving conditions and usage. | *ADAS features are for driver assistance only. Driver is responsible for safe and attentive driving. | *Always wear your seatbelt. | *Mentioned ownership plan is for e VITARA Delta variant. Calculation is done assuming vehicle is running 60 km per day, excluding charging cost. Valid on retail sales for the e VITARA till 31st March '26, capped at 1000 units of electricity (kWh) per customer or 1 Year from the purchase of the vehicle, whichever is earlier. Assured buyback plan is available on payment basis with the option of 3 years/45,000 km or 4 years/60,000 km ownership plans (whichever is earlier). The program is offered through an Insurance company. e VITARA comes with standard warranty of 3 years/1,00,000 km with an option of extending the same on payment basis to 5 years/1,40,000 km and service activated coverage for 6th to 8th year for EV related components.

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. ऑ. नं. **RAJHIN/2006/17286** जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायवा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाऊस, हनुमान हवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स: 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: लायड मैन् रोड लायड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डोन्सिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डोन्सिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरु कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरु, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

